174

SIV-19/2023

कार्यालय
मुख्यालय /सतर्कता विभाग
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज।

पत्रांक:2022/12/022045/PC/V3/N/JHS

दिनांक: 16.08.2023

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक,
उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज । .

विषय: सतर्कता निवारक जांच में पायी गयी अनियमितताओ के दृष्टिगत "सुधार प्रणाली" जारी करने के संबंध में।

******

रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्देशित THRUST AREA मद " Checks on TTE Cash, EFT and its Remittance " के अनुपालन में ग्वालियर स्टेशन के CIT/ADMIN कार्यालय में एक सतर्कता निवारक जांच की गयी। उक्त जांच के क्रम मे सतर्कता दल/उमरे. द्वारा दिसंबर 2022 के TTE Cash Remittance रजिस्टर का अवलोकन किया गया। सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा कैश जमा करने के पश्चात उक्त रजिस्टर मे मनी रसीद संख्या तथा कैश जमा करने की तिथि नहीं अंकित की जा रही है। मनी रसीद संख्या न लिखे जाने के कारण इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है कि कर्मचारी द्वारा किस तिथि मे सरकारी धन को जमा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे भ्रष्टाचार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिन कर्मचारियों नें MR नम्बर को उक्त रजिस्टर मे अंकित ही नहीं किया है, वो कितने दिनों के बाद कैश जमा करते है इसका विवरण रजिस्टर देखकर नहीं मिल पा रहा है।

अतः उक्त अनियमितताओ के दृष्टिगत मण्डल के अधिकारी/ वरिष्ठ सुपरवाइज़र स्तर पर Scheduled Inspection किए जाने की अनुशंसा की जाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा निर्देश जारी करते हुए मण्डल के सभी अधिकारी गण / वरिष्ठ सुपरवाइज़र स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये।

इसे वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ. जितेंद्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यातायात